25-5-22

अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को पत्रावली पर सुना गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स की माता तीजादेवी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष एक अपील बउनवानी तीजादेवी बनाम रूपलाल प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने पर व रेस्पोडेन्ट्स के उपस्थित आने पर दिनांक 21–03–2017 उभय पक्षों को सुनवाई करने पर आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी में निर्णय पारित करने के उपरान्त प्रकरण पुनः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01–08–2018 को दर्ज रजिस्टर की गई व न्यायालय स्तर से उभय पक्षों को नोटिस जारी व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 25–10–2018 नियत की गई। उक्त दिनांक को न्यायालय को न्यायालय स्तर से पक्षकारों के किसी प्रकार के कोई नोटिस जारी किया जाना आदेशिका के अवलोकन से साबित हैं तत्पश्चात् दिनांक 21–01–19 को न्यायालय स्तर से नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस प्रार्थीगण पर तामील नहीं होने पर वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ पाये। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01–04–2019 को अपील अपीलांट की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। चूंकि प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड होकर आया था ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उक्त रिमाण्ड प्रकरण में पुनः दर्ज की गई पत्रावली की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी व वर्ष 2020 से निरस्तर कोविड–19 के कारण सम्पूर्ण भारत वर्ष में लॉकडाऊन होने व स्थानीय बार द्वारा समय–समय पर कार्य स्थगित रखे जाने व पक्षकारों की न्यायालय में व्यक्तिगत् उपस्थित पर पाबन्दी होने के कारण निर्धारित समयावधि में रेस्टोरशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि को लेकर प्रार्थीगण के अधिकारों का निर्धारण अपील के गुणावगुण पर तय होना है। यदि प्रार्थीगण के रेस्टोरशन प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपने अधिकार जिसके लिये वह लम्बी अवधि से कानूनी लड़ाई लड़ता आ रहा है, से वंचित हो जायेगा तथा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पायेगा। न्याय की भी यह मंशा रही है कि जहॉ मामलें का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ तकनीकी बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षणा को ध्यान में

रखते हुए प्रार्थी के रेस्टोरशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील को पुनः सुनवाई हेतु निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे ताकि प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करते हुए पक्षकारों को विधि सम्मत तरीके से न्याय प्राप्त हो सके।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के निर्धारित दिनांक को उपस्थित नहीं आने पर प्रार्थीगण की अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था। उक्त आदेश को निरस्त करवाने हेतु को रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा दो वर्ष उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में विलम्ब से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील को रेस्टोर करना उचित नहीं है। अतः रेस्टोरशन प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीगण का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण की माता तीजादेवी द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 6 एमडीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 183/9 की 25 बीघा भूमि के बाबत् अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21–03–2017 को प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई व मण्डल द्वारा उक्त निगरानी रिमाण्ड किये जाने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए उभय पक्षों को न्यायालय स्तर से नोटिस जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त निर्देशों की पालना में उभय पक्षों को दिनांक 21–01–2019 को न्यायालय की तरफ से दिनांक 01–04–2019 को उपस्थित आने हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलांट्स/प्रार्थीगण उक्त दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अपील दिनांक 01–04–2019 को अपीलांट की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। उक्त अपील को रेस्टोर करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 03–03–2021 को प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया न्यायालय द्वारा पूर्व में तामील हेतु जारी नोटिस प्राप्त नहीं हुए नाही उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को प्राप्त हो पाई। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त होते हुए रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

दिया गया है। चूंकि वर्ष 2020 के उपरान्त से ही निरन्तर सम्पूर्ण देश में कोविड–19 के कारण लॉकडाऊन चल रहा था तथा तत्पश्चात् पक्षकारों की न्यायालय में उपस्थिति पर पर प्रतिबन्ध रहा तथा स्थानीय बार द्वारा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में कार्य स्थगित रखे जाने के कारण निर्धारित समयावधि में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत होता है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी मामलें का गुणावगुण पर निर्धारण किया जाना चाहिए नाकि मामलें को फौरी तौर पर निर्धारित करते हुए पक्षकारों के अधिकारों को समाप्त किया जावे। ऐसीस्थिति में प्रार्थीगण का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के बाबत् नियम 23 उप. के तहत प्रस्तुत मूल अपील तीजादेवी बनाम रूपलाल को गुणावगुण पर निर्धारण किये जाने हेतु पुनः दर्ज रजिस्टर करने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

25/4/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर